उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-42/753/एक-1-2016-20(11)/2016

लखनऊः दिनाँकः 09 जून, 2016

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 193 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 225-ग की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर प्रकरणों के निस्तारण और संबंधित ग्राम पंचायत के व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक ग्राम राजस्व समिति गठित की जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

bhashadesh.up.nic.in